संख्या– 160(1)/xxxvi(1)एक/10–23–एक(5)/2005

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा० उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2010

विषय– जिला देहरादून व उधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 32/xxxvi(1)एक/10–23–एक(5)/2005 दिनांक 6 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून व उधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2010 से 28–2– 2011 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । उक्त न्यायालयों/पदों का सृजन शासनादेश संख्या– 24–एक(5)/छत्तीस(1)/2005–23–एक(5)/05 दिनांक 8 नवम्बर, 2005 द्वारा किया गया है ।

2– उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–10–स्थायी लोक अदालत–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/78–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 160(1)/xxxvi(1)एक/10–23–एक(5)/2005तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/उधमसिंहनगर ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर ।
5– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के०पी० पाटनी)
अनु सचिव,